सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2020/JAIPUR/201577**

दिनांक / DATE- 25-01-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि **RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION** जिला **JAIPUR** का रजिस्ट्रेशन **" THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958) "** के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION** AT DISTRICT **JAIPUR** IS REGISTERED UNDER **" सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) "**. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Signature valid

Digitally signed by Chhoti Lal Bunkar
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.01.25 ...:25:34 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी प्रमाण पत्र / *EXECUTIVE COMMITTEE CERTIFICATE*

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2020/JAIPUR/201577**

दिनांक / DATE- 25-01-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि **RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION** जिला **JAIPUR** का रजिस्ट्रेशन '**राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)** ' के अन्तर्गत पंजीकृत है, मैं पंजीकरण के समय निम्नलिखित कार्यकारिणी है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरो से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION** AT DISTRICT **JAIPUR** IS REGISTERED UNDER '**THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)** ' HAS THE FOLLOWING EXECUTIVE COMMITTEE AT THE TIME OF REGISTRATION. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
1		Kapil Choudhary	M	PRESIDENT	XXXXXXXX2120	02/10/1990
2		Gaurav Gupta	M	GENERAL SECRETARY	XXXXXXXX4456	23/04/1987
3		Rishi Kumar Saini	M	TREASURER	XXXXXXXX6591	25/05/1991
4		Mahaveer Burdak	M	EXECUTIVE MEMBER	XXXXXXXX0843	26/04/1988
5		Vikram Singh	M	EXECUTIVE MEMBER	XXXXXXXX9865	13/07/1991
6		Shiv Shankar Sharma	M	EXECUTIVE MEMBER	XXXXXXXX8007	15/08/1989
7		Ashok Kumar Raigar	M	EXECUTIVE MEMBER	XXXXXXXX8638	01/07/1990

Signature valid

Digitally signed by C... ti Lal Bunkar
Designation: REG... RAR
Date: 2021.0... 25:35 IST
Reason: Appro...
Location: Jaipur

RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION

संघ विधान पत्र

1. संस्था का नाम :	**RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION**
2. पंजीकृत कार्यालय :	प्लॉट नं.– 2449, चौधरी भवन, रामलला का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान) 302003
तथा कार्यक्षेत्र	इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य :	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों के आर्थिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना।
2. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों की योग्यता व कार्य कुशलता में वृधि करना।
3. कर्मचारियों व अधिकारियों में परस्पर स्वस्थ, स्वच्छ एवं सोहार्दपूर्ण तथा भेदभाव रहित परिपेश व समरस सम्बन्ध स्थापित करने में लोकत्रांतिक तरीको से सहायता करना।
4. कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक उत्पीडन का विरोध करना व राज्य सरकार/विभाग को लोकतंत्र समस्त तरीको से अवगत करवाना।
5. आवश्यकता होने पर सदस्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विधिक न्याय दिलवाने हेतु प्रयास करना।
6. भ्रार्तव, एकता एवं पारस्परिक सहयोग की प्रवत्ति को विकसित करना।
7. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों में आत्मविश्वास, मानवता, स्वाभिमान, राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करना।
8. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों के लिए जीवन यापन, वेतन, विश्रामवृति, कार्य व सेवा सम्बन्धी अधिकारों व सुविधाओं का बोध कराना व लोकत्रांतिक तरीको से उनको प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by C[illegible]ti Lal Bunkar
Designation: REG[illegible]RAR
Date: 2021.[illegible] 25:36 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Jaipur

RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION

विधान नियमावली

1. संस्था का नाम :	**RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION**
2. पंजीकृत कार्यालय :	प्लॉट नं.– 2449, चौधरी भवन, रामलला का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान) 302003
तथा कार्यक्षेत्र	इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य :	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों के आर्थिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना।
2. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों की योग्यता व कार्य कुशलता में वृधि करना।
3. कर्मचारियों व अधिकारियों में परस्पर स्वस्थ, स्वच्छ एवं सोहार्दपूर्ण तथा भेदभाव रहित परिपेश व समरस सम्बन्ध स्थापित करने में लोकत्रांतिक तरीको से सहायता करना।
4. कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक उत्पीडन का विरोध करना व राज्य सरकार/विभाग को लोकतंत्र समस्त तरीको से अवगत करवाना।
5. आवश्यकता होने पर सदस्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विधिक न्याय दिलवाने हेतु प्रयास करना।
6. भ्रार्तव, एकता एवं पारस्परिक सहयोग की प्रवत्ति को विकसित करना।
7. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों में आत्मविश्वास, मानवता, स्वाभिमान, राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करना।
8. राजस्थान कम्प्यूटर कर्मचारियों के लिए जीवन यापन, वेतन, विश्रामवृति, कार्य व सेवा सम्बन्धी अधिकारों व सुविधाओं का बोध कराना व लोकत्रांतिक तरीकों से उनको प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by C... Lal Bunkar
Designation: REG...RAR
Date: 2021.0... 25:37 IST
Reason: Appro...
Location: Jaipur

4. सदस्यता :– **निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–**

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल,दीवालिये न हो।
4. संस्था के उद्धेश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
6. प्रत्येक स्थाई, अस्थाई, प्रोबेशनर, डेपुटेशन, निलंबित (मामला चल रहा हो) राज्य कर्मचारी

5. सदस्यों का वर्गीकरण : **संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–**

सरंक्षक
विशिष्ठ
सम्माननीय
साधारण (जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त चन्दा – **उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार व शुल्क व चन्दा देय होगा:–**

1. संरक्षक राशि.... 51000/–.........वार्षिक/आजन्म
2. विशिष्ठ राशि..... 21000/–........वार्षिक/आजन्म
3. सम्माननीय राशि ..... 11000/–.........वार्षिक
4. साधारण राशि ...... 1100/–.........वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रु ....**नियमानुसार**......... मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन:– **संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–**

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर, लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगे।

9. साधारण सभा के:– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे–

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — **अध्यक्ष**   **सचिव**   **कोषाध्यक्ष**

Signature valid
Digitally signed by C[illegible]ti Lal Bunkar
Designation: REG[illegible]RAR
Date: 2021.[illegible]25:37 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Jaipur

अधिकार और कर्तव्य

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा :– की बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 1 माह पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, केलिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 7 दिवस के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11.कार्यकारिणी का गठनः–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकप्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष – 1   2. महासचिव – 1

3. कोषाध्यक्ष– 1   4. मेम्बर– 4

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by [illegible] Lal Bunkar
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.[illegible] 25:37 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Jaipur

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 3 पदाधिकारी व 4 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेंगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेंगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– **संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:–**

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

14. कार्यकारिणी बैठकें:–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधें से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी।लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे,जो पूर्व

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by [illegible]ti Lal Bunkar
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.[illegible] [illegible]25:37 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Jaipur

एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा कीकार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों :– के अधिकार एवं कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:–

1. अध्यक्ष:

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना बैठकें आहूत करना।
3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
4. संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्ष:

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. सचिव:

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4. कोषाध्यक्ष:

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil — अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by C... ti Lal Bunkar
Designation: REG...RAR
Date: 2021.0... 25:37 IST
Reason: Appro...
Location: Jaipur

3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोषः— संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः—

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1— उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेंगी।

2— अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी :— विशेषाधिकार संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः—

1. अध्यक्ष...... .... **11000/—** ....रू.
2. सचिव ....**11000/—** ....रू.
3. कोषाध्यक्ष.......... **11000/—** ....रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षणः— संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धनः— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदसयों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटनः— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेंगी लेकिन उक्त समस्त

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by C...li Lal Bunkar
Designation :REG...RAR
Date: 2021.0... ...25:37 IST
Reason: Appro...
Location: Jaipur

	कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21. संस्था के रिकोर्ड का निरीक्षण :–	**रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर** को संस्था के रिकोर्ड लेखे जोखे के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **RAJASTHAN SUBORDINATE COMPUTER EMPLOYEES ASSOCIATION** की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

Kapil
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by C... Lal Bunkar
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.0... 25:37 IST
Reason: Appro...
Location: Jaipur